

संख्या - सीएचएडसी 15-7-04-16/115/2005

श्रीम प्रकाश गुप्त,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

राज्य
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
ब्लॉक नं-2 समूह 2,
प्राथमिक विभाग, नई दिल्ली ।

दिनांक 19 अगस्त

लखनऊ: दिनांक 19 अगस्त, 2005


श्रीमती सी. सी. श्रीवास्तव नई दिल्ली से संख्या 89
अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना ।

महोदय,


उपरोक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का
विशेष दुःख है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को **सी. सी. श्रीवास्तव** नई दिल्ली से
संबन्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित
प्रतिबंधों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

- 1] विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया
जायेगा ।
- 2] विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।।
- 3] विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रधावी
बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद/बैसिक
शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित
शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 4] संख्या द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी
और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा बैसिक शिक्षा
परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबन्धता केन्द्रीय माध्यमिक
शिक्षा परिषद/कोर्टिल कार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इकाय मिशन,
नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों
की संबन्धता प्राप्त होने की तिथि से उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा
प्राप्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो
जायेंगे ।

Manager
S. C. D. Education Centre
Kaushalpur Kanpur


Manager

Shree Sanatan Dharm Education Centre
118/266, Kaushalpur, Kanpur-208012


Principal
Education Centre
Kaushalpur Kanpur



- 15) संस्था के शैक्षिक एवं शिष्योत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों की अनुपम्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से लाभान्वित किया जाने नहीं दिये जायें ।
- 16) कर्मचारियों की सेवा गते बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त आगामी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुपम्य सेवा-निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायें ।
- 17) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायें संस्था उनका पालन करेगी ।
- 18) शिक्षण विभागाधीन विद्यार्थी पुत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा ।
- 19) उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।

रजक प्रतिक्रियाओं का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि इस समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या विश्रुतता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

। विम प्रकाश गुप्त ।
संयुक्त सचिव ।


प्रमुख विचारक तालिका


प्रतिक्रिया निम्नलिखित जो सुझाव एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश ।
- 2- पत्राचार संयुक्त शिक्षा निदेशक, कांपुर ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, कांपुर ।
- 4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ ।
- 5- प्रबंधक, सशरणाधीन कौशपुरी, कांपुर ।
- 6- गाँव ब्लाक ।

आज्ञा से,

। विम प्रकाश गुप्त ।
संयुक्त सचिव ।


Manager
S. S. D. Education Centre
Kaushalpur, Kanpur


Principal
S. S. D. Education Centre
Kaushalpur, Kanpur

Manager

Shree Saralan Dharm Education Centre
118/266, Kaushalpur, Kanpur-208012